

न्यायालय सभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस संख्या 2024 / 105

1. जगदीश पुत्र चतरू
2. मदन पुत्र चतरू
3. भागली पत्नी चतरू
4. भंवरलाल पुत्र उमराव
5. ओमकार पुत्र ग्यारता
6. छाजूराम पुत्र गोपी समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम चौबाला (मंडा) तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान।
7. सुल्तान पुत्र गोडाराम
8. श्योदान पुत्र प्रभु
9. जयराम पुत्र मांगूराम
10. हनुमान पुत्र मांगूराम गुर्जर
11. कैलाश पुत्र गाडाराम
12. छाजूराम पुत्र बन्नाराम गुर्जर
13. मूलचन्द पुत्र उमराव
14. कानाराम पुत्र गोपी
15. रामेश्वर पुत्र मांगराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम चौबाला (मंडा) तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान।
2. उपखण्ड अधिकारी, पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली बहरोड राज०।

—रेस्पोंडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा -75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी, पावटा जिला कोटपूतली बहरोड दिनांक 31-01-2024, बाबत प्रार्थना पत्र संख्या 04 / 2024

उपस्थित—

1. श्री हेमन्त दीक्षित वकील अपीलान्ट
2. श्री राजाराम चौधरी वकील रेस्पोंडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांक—24.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड राजस्थान के निर्णय दिनांक 31.01.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

सभागीय आयुक्त
जयपुर

2. यह कि संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है, कि यह कि वाके ग्राम चौबाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर 33/0.49 में से 0.0120, 34/0.42 में से 0.0070, 35/0.34 में से 0.0060, 36/0.37 में से 0.0060, 38/0.70 में से 0.0050, 46/009 में से 0.04, 47/0.58 में से 0.0150, 93/0.29 में से 0.01, 94/0.12 में से 0.0060, 96/0.45 में से 0.0180, 99/0.24 में से 0.0150, 100/0.21 में से 0.0130 हेक्टे० भूमि के संबंध में तहसीलदार पावटा द्वारा रास्ते संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु प्रस्ताव भिजवाये जाने पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा भूमि की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में किस्म गैर मु० रास्ता दर्ज करने के आदेश दिनांक 31.01.2024 को दिये गये
3. उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोडके उक्त निर्णय दिनांक 31.01.2024 से व्यथित होकर अपीलान्त जगदीश पुत्र चतरूवगै० द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी पावटा दिनांक 31.01.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्त के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया किवाके ग्राम चौबाला तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड स्थित आराजी खसरा नंबर भूमि खसरा नंबरान 33 से 36, 38, 46, 47, 93, 94, 96, 99 एवं 100 स्थित ग्राम चौबाला मटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड के अपीलांट्स काबिज रिकाड्रेड खातेदार है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण को बिना कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही एक पक्षीय रूप से राजस्व रिकार्ड व नक्शे में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का जो एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया है, वह पूर्णतया एकपक्षीय, क्षेत्राधिकार-विहीन एवं न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। उपखण्ड अधिकारी, पावटा ने आज्ञा जैर अपील पारित करने से पूर्व संबंधित ग्राम पंचायत चौबाला मंडा तहसील पावटा से रास्ते हेतु किसी भी प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं कराया तथा न ही ग्राम पंचायत को सुना गया तथा अपीलान्त खादारान को किसी भी प्रकार का कोई नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही तहसीलदार, पावटा द्वारा की गई एक पक्षीय मौका निरीक्षण रिपोर्ट दि० 20-12-2023 के आधार पर अपीलान्टस् की खातेदारी में वे एक पक्षीय रूप वे नया रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये है। प्रकरण में अपीलान्टस् एवं अन्य खातेदारों को, सुनवाई, जवाब, शहादत, सबूत, आदि प्रस्तुत करने का कतई कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, तथा न ही विधिक प्रक्रिया का ही कोई पालन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने कुछ खातेदारों को, अनुचित, अवैध लाभ पहुंचाने की दृष्टि से नया रास्ता मौके पर चालू करने के उद्देश्य से आज्ञा प्रसारित की है। चूंकि रास्ते संबंधी प्रावधान धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिये गये हैं। प्रार्थीगण की भूमि में कभी कोई रास्ता नहीं रहा न मौके पर कोई रास्ता है। पटवारी हल्का ने बिना मौका पर गए रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की है न मौके रिपोर्ट बनाने बाबत कोई नोटिस ही दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों की जांच व अवलोकन किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड 31.01.2024 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोजेण्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने जवाब प्रार्थना पत्र से बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार पावटा ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प3 (2) राज./6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र के अनुसार ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू हैं, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने-जाने हेतु उपलब्ध हैं, ऐसे रास्तों का अंकन राजस्व अभिलेख में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार अभिशंसा के तहत भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड उचित एवं विधिसम्पक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि विवादित रास्ता एक लम्बा रास्ता है व अनेक खसरा नम्बरों से होकर गुजरता है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता कदीमी रूप से मौके पर चालू एवं स्थायी रास्ता है जिससे माना जा सकता है कि मौके पर प्रचलित एवं कदीमी रूप से चालू एवं स्थायी प्रकृति के रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प3(2) राज./6/2003 पार्ट/दिनांक 10.08.2016 के परिपत्र के अनुसार ऐसे स्थायी रास्ते जो राजकीय/निजी भूमियों में से चालू हैं, किन्तु इनका अंकन राजस्व अभिलेख में नहीं है तथा ऐसे स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी हैं तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं हैं तथा आमजन के आने-जाने हेतु उपलब्ध हैं, ऐसे रास्तों का अंकन राजस्व अभिलेख में भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार किया जावेगा। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड द्वारा इस संबंध में पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की अभिशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार कर विधिक प्रक्रिया के तहत रास्ते के अंकन किये जाने को निर्णय पारित किया गया है इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी

पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हरतक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पावटा जिला कोटपूतली-बहरोड का निर्णय दिनांक 31.01.2024 यथावत रखा जाता है।


(सांभागीय न्यायालय)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त,
जयपुर।